

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 826]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2025 — कार्तिक 1, शक 1947

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

File No. ESTB-101/111/2025-FOOD. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में -

1. अनुसूची - एक में, सरल क्रमांक 7 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"7	सहायक संचालक/ खाद्य अधिकारी	32	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400 (लेवल -12)
----	--------------------------------	----	-------------------------------	---

2. अनुसूची - दो में, सरल क्रमांक 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"5.	सहायक संचालक/ खाद्य अधिकारी	32	30%	70% (सहायक खाद्य अधिकारी के लिए 63% और अधीक्षक, संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं- उपभोक्ता संरक्षण के लिए 7%)	"
-----	--------------------------------	----	-----	---	---

3. अनुसूची - तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

**"अनुसूची - तीन
(नियम 8 देखिये)
सीधी भर्ती हेतु आयु एवं योग्यता**

सेवा में सम्मिलित पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक संचालक/खाद्य अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि	-

नोट- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।"

4. अनुसूची - चार में, सरल क्रमांक 4 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"4	सहायक खाद्य अधिकारी	सहायक संचालक/खाद्य अधिकारी	5 वर्ष	-तदैव-
	अधीक्षक, संचालनालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	सहायक संचालक	5 वर्ष	-तदैव-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 13th October 2025

NOTIFICATION

File No. ESTB-101/111/2025-FOOD . — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection (Gazetted) Service recruitment Rules, 2013 namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules, -

1. In Schedule-I, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

"7	Assistant Director/ Food Officer	32	Class-II (Gazetted)	15600-39100+Grade Pay 5400 (Level-12)"
----	----------------------------------	----	---------------------	--

2. In Schedule-II, for serial number 5 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

5.	Assistant Director/ Food Officer	32	30%	70% (63% for Assistant Food Officer and 7% for Superintendent, Directorate, Food Civil Supplies and Consumer Protection.)	-
----	----------------------------------	----	-----	---	---

3. For Schedule-III, the following schedule shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of post included in the service	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification prescribed
(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director/ Food Officer	21 years	30 years	Graduate degree from any recognized University.

NOTE- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are local resident of State of Chhattisgarh, as per the instruction issued by the General Administration Department of the Government, from time to time."

4. In Schedule-IV, for serial number 4 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

4.	Assistant Food Officer	Assistant. Director / Food Officer	5 years	--d0--
	Superintendent, Directorate, Food Civil Supplies and Consumer Protection	Assistant Director	5 years	--d0--

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGWAT JAISWAL, Deputy Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

File No.:ESTB-101/111/2025-FOOD . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अराजपत्रित कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :-

1. अनुसूची - एक में, सरल क्रमांक 1 व उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

1.	सहायक खाद्य अधिकारी	85	तृतीय श्रेणी (राजपत्रित)	9 (9300-34800)	4300
----	---------------------	----	-----------------------------	----------------	------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 13th October 2025

NOTIFICATION

File No.:ESTB-101/111/2025-FOOD. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Food, Civil Supplies and Consumer Protection (Non-Gazetted Executive) Service Recruitment Rules, 2013 namely -

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-I, for serial number 1 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

1.	Assistant Food Officer	85	Class-III (Gazetted)	9 (9300-34800)	4300
----	------------------------	----	-------------------------	----------------	------

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGWAT JAISWAL, Deputy Secretary.